राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप--2) विभाग

21 FEB 2018

क्रमांक : प.1(55)साप्र/2/77—पार्ट—1 जयपुर, दिनांक :— 21 FEB 2018

आदेश

राजकीय आवासों में सेवानिवृत्ति/स्थानान्तरण अथवा अन्य कारणों से राजकीय आवास के पात्र नहीं होने पर नियमों में प्रदान की गई अवधि अथवा विशेष रूप से अनुमति की गई अवधि के पश्चात् अनाधिकृत रूप से निवास करने पर दण्डात्मक किराया वसूल करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 6(4)एफडी(रूल्स)/07 जयपुर, दिनांक 12.09.2008 के द्वारा लागू किये गये राजस्थान सिविल सर्विसेज (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के तहत राजस्थान सिविल सर्विसेज एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.09.2008 से निम्न प्रकार से दरें पुनः निर्धारित की जाती हैं :—

क्र.सं.	आवास की श्रेणी	दुगुना किराया	तिगुना किराया
1.	प्रथम श्रेणी	मूल वेतन का 4 प्रतिशत या 3200/— रूपये जो भी अधिक हो।	मूल वेतन का 6 प्रतिशत या 4800/— रूपये जो भी अधिक हो।
2.	द्वितीय श्रेणी	मूल वेतन का 4 प्रतिशत या 1892/— रूपये जो भी अधिक हो।	मूल वेतन का 6 प्रतिशत या 2838/— रूपये जो भी अधिक हो।
3.	तृतीय श्रेणी	मूल वेतन का 4 प्रतिशत या 1804/— रूपये जो भी अधिक हो।	मूल वेतन का 6 प्रतिशत या 2706/— रूपये जो भी अधिक हो।
4.	चतुर्थ श्रेणी	मूल वेतन का 4 प्रतिशत या 1536/— रूपये जो भी अधिक हो।	मूल वेतन का 6 प्रतिशत या 2304/— रूपये जो भी अधिक हो।
5.	पंचम् श्रेणी	मूल वेतन का 4 प्रतिशत या 892/— रूपये जो भी अधिक हो।	मूल वेतन का 6 प्रतिशत या 1338/— रूपये जो भी अधिक हो।
6.	षष्टम् श्रेणी	मूल वेतन का 4 प्रतिशत या 882/— रूपये जो भी अधिक हो।	मूल वेतन का 6 प्रतिशत या 1323/— रूपये जो भी अधिक हो।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101706785 दिनांक 15.01.2018 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है.—

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
4. महापंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/समस्त प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण/ विशिष्ट शासन सचिवगण।
7. प्रमुख निवासीय आयुक्त, बीकानेर हाऊस, पंडारा रोड, नई दिल्ली।
8. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव/समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
9. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
11. जिला कलेक्टर, जयपुर।
12. समस्त विभागाध्यक्षगण, जयपुर।
13. समस्त कोषाधिकारीगण, जयपुर।
14. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
15. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
16. संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 101706785 दिनांक 15.01.2018 के क्रम में।
17. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
19. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप—4) विभाग।
21. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप—3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर—उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
22. सामान्य प्रशासन (ग्रुप—1, 3, 4, 5 एवं 6) विभाग।
23. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.1(55)साप्र/2/77–पार्ट–1 जयपुर, दिनांक :– 21 FEB 2018

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र दिनांक 25.11.2008 द्वारा पात्रता से निम्न श्रेणी के राजकीय आवासों में रह रहे अधिकारियों/कर्मचारियों से किराया वसूली हेतु किराये का निर्धारण किया गया था। वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 14(1)एफडी(रूल्स)/2013–II जयपुर, दिनांक 28.06.2013 के द्वारा राजस्थान सिविल सर्विसेज (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 द्वारा दिनांक 01.07.2013 से लागू किये गये संशोधन के आधार पर राजकीय सिविल सर्विसेज (आवासीय भवनों का किराया निर्धारण और वसूली) नियम, 1958 के अन्तर्गत जयपुर स्थित समस्त विभागाध्यक्ष पात्रता से निम्न श्रेणी के आवण्टित राजकीय आवास में निवास कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों से किराये की राशि दिनांक 01.07.2013 से निम्नानुसार उनके वेतन से काटी जाना सुनिश्चित करें :–

क्र.सं.	आवास की श्रेणी	अधिकतम आवास किराये की राशि
1.	द्वितीय श्रेणी	946/–
2.	तृतीय श्रेणी	902/–
3.	चतुर्थ श्रेणी	780/–
4.	पचम श्रेणी	452/–

यह परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101706785 दिनांक 15.01.2018 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
4. महापंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/समस्त प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण/विशिष्ट शासन सचिवगण।
7. प्रमुख निवासीय आयुक्त, बीकानेर हाऊस, पंडारा रोड़, नई दिल्ली।
8. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव/समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
9. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
11. जिला कलेक्टर, जयपुर।
12. समस्त विभागाध्यक्षगण, जयपुर।
13. समस्त कोषाधिकारीगण, जयपुर।
14. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
15. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
16. संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 101706785 दिनांक 15.01.2018 के क्रम में।
17. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
19. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप--4) विभाग।
21. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–उक्त परिपत्र को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
22. सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1, 3, 4, 5 एवं 6) विभाग।
23. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.1(55)साप्र/2/77–पार्ट–1 जयपुर, दिनांक :– 21 FEB 2018

आदेश

राजकीय आवासों में सेवानिवृत्ति/स्थानान्तरण अथवा अन्य कारणों से राजकीय आवास के पात्र नहीं होने पर नियमों में प्रदान की गई अवधि अथवा विशेष रूप से अनुमति की गई अवधि के पश्चात् अनाधिकृत रूप से निवास करने पर दण्डात्मक किराया वसूल करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 14(1)एफडी(रूल्स)/2013–II जयपुर, दिनांक 28.06.2013 के द्वारा राजस्थान सिविल सर्विसेज (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में दिनांक 01.07.2013 से किये गये संशोधन के आधार पर दिनांक 01.07.2013 से दण्डात्मक किराये की दरें निम्न प्रकार से पुनः निर्धारित की जाती हैं :–

क्र.सं.	आवास की श्रेणी	दुगुना किराया	तिगुना किराया
1.	प्रथम श्रेणी	मूल वेतन का 4 प्रतिशत या 3200/– रूपये जो भी अधिक हो।	मूल वेतन का 6 प्रतिशत या 4800/– रूपये जो भी अधिक हो।
2.	द्वितीय श्रेणी	मूल वेतन का 4 प्रतिशत या 1892/– रूपये जो भी अधिक हो।	मूल वेतन का 6 प्रतिशत या 2838/– रूपये जो भी अधिक हो।
3.	तृतीय श्रेणी	मूल वेतन का 4 प्रतिशत या 804/– रूपये जो भी अधिक हो।	मूल वेतन का 6 प्रतिशत या 2706/– रूपये जो भी अधिक हो।
4.	चतुर्थ श्रेणी	मूल वेतन का 4 प्रतिशत या 1560/– रूपये जो भी अधिक हो।	मूल वेतन का 6 प्रतिशत या 2340/– रूपये जो भी अधिक हो।
5.	पंचम श्रेणी	मूल वेतन का 4 प्रतिशत या 904/– रूपये जो भी अधिक हो।	मूल वेतन का 6 प्रतिशत या 1356/– रूपये जो भी अधिक हो।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101706785 दिनांक 15.01.2018 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
4. महापंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/समस्त प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण/विशिष्ट शासन सचिवगण।
7. प्रमुख निवासीय आयुक्त, बीकानेर हाऊस, पंडारा रोड़, नई दिल्ली।
8. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव/समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
9. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
11. जिला कलेक्टर, जयपुर।
12. समस्त विभागाध्यक्षगण, जयपुर।
13. समस्त कोषाधिकारीगण, जयपुर।
14. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
15. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
16. संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 101706785 दिनांक 15.01.2018 के क्रम में।
17. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
19. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
21. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
22. सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1, 3, 4, 5 एवं 6) विभाग।
23. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव